कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

E-mail – ccf-durg.cg@gov.in, Phone No. 0788-2210160 & Fax- 0788-2210814

क्रमांक/तक.अधि./4880 दुर्ग, दिनांक 10/07/2020

प्रति,

बनमण्डलाधिकारी,
खैरागढ़ वनमण्डल,
खैरागढ़

विषय :— **वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत नेट/स्काई परियोजना के तहत् मार्ग के समानांतर भूमिगत आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु 4.403 हे. वनभूमि एवं 0.278 हे. राजस्व वनभूमि कुल 4.681 हे. के व्यपवर्तन की स्वीकृति बाबत् । (Reg.No. FP/CG/OFC/43123/2019)**

संदर्भ :— 1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. अटल नगर, नवा रायपुर का पत्र क्र./भू—प्रबंध/विविध/115—836/1312 दिनांक 4.7.2020.

2) आपका पत्र क्र./मा.चि./न.क्र.2—14/1021 दि. 01.06.2020.

⁂

विषयांतर्गत आपके संदर्भित पत्र द्वारा प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किया गया है, जिसे इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/तक.अधि./4321 दिनांक 23.06.2020 द्वारा अनुशंसा सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. अटल नगर, नवा रायपुर की ओर प्रेषित किया गया था। प्रेषित प्रस्ताव का नोडल कार्यालय के परीक्षण उपरांत 04 बिन्दुओं पर कमियों की पूर्ति कर पूर्ण प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित करने लेख किया गया है।

संदर्भित पत्र (1) की छायाप्रति मय सहपत्रों के आपकी ओर आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है, जिसका भलीभांति अध्ययन करते हुए चाही गई 04 बिन्दुओं पर कमियों की पूर्ति कर पूर्ण प्रस्ताव तत्काल प्रेषित करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जा सके।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

09/7/2020

मुख्य वन संरक्षक,
दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)
9/7/20

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, अटल नगर, नवा रायपुर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/विविध/115–836/ 1312 रायपुर, दिनांक 04/07/2020

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
दुर्ग वृत्त, दुर्ग
छत्तीसगढ़

विषय :– वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत नेट / स्काई परियोजना के तहत मार्ग के समानांतर भूमिगत आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु 4.403 हे. वन भूमि एवं 0.278 हे. राजस्व वन भूमि कुल 4.681 हे. के व्यपवर्तन की स्वीकृति बाबद।
पंजीयन कमांक– **FP/CG/OFC/43123/2019**

संदर्भ:– मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक अधि/ 4321 दिनांक 23.06.2020

=0=

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें । उक्त पत्र के माध्यम से विषयांकित प्रकरण का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। नोडल कार्यालय के परीक्षण उपरांत निम्न कमियां परिलक्षित हुई हैः–

1. Form A Part-II के कालम न. 16 (Species recommendation ofthe FDO/CCF/ Nodal Officer for acceptance or owhtewise of the proposal with reason) में वन मंडलाधिकारी द्वारा किये जाने वाला पार्ट–2 अपलोड नहीं किया गया है।
2. FRA Certificate कलेक्टर कार्यालय द्वारा अपलोड नही किया गया है।
3. वन प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा प्रदाय सत्यापित वेजीटेशन मैप फार्म–ए पार्ट–2 के अतिरिक्त जानकारी के रूप में अपलोड नहीं किया गया है।
4. चेक लिस्ट अनुसार आवरण पत्र में 21 बिन्दुओं का विस्तारपूर्वक का उल्लेख नहीं किया गया है। इस हेतु नमूना संलग्न कर प्रेषित है जिस अनुसार आवरण पत्र तैयार कर प्रस्तुत करें।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर शीघ्र प्रेषित करें।

संलग्नः– आवरण पत्र का नमूना (3 पृष्ठीय)

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115– 836/ 1313 रायपुर, दिनांक 04/07/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

– **वन मंडलाधिकारी**, खैरागढ़ वन मंडल, खैरागढ़, छत्तीसगढ़।
– **आवेदनकर्ता** प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड रायपुर।

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर (छत्तीसगढ़)

☎ : (0771) 2523769, 2888509, Fax :- 2886152 - E-mail- cfrpr@rediffmail.com

क्रमांक/तक.शा./विविध/ 3990 रायपुर, दिनांक 24/06/2020

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध/व.सं.अ.)
अटलनगर, नवा रायपुर(छ.ग.)

विषय :– भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना भारतनेट प्रोजेक्ट (**A part of Digital India**) के सफल क्रियान्वयन हेतु महासमुंद जिला के महासमुन्द वनमंडल अंतर्गत बसना पिथौरा एवं सरायपाली ब्लॉक के अंतर्गत शामिल ग्राम पंचायत के मार्ग समानांतर वनभूमि पर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत व्यपवर्तन हेतु राजस्व वनभूमि को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने विषयक।
पंजीयन क्रमांक –**FP/CG/OFC/42881/2019**

संदर्भ :– वनमंडलाधिकारी महासमुंद वनमंडल महासमुंद का पत्र कमांक/मा.चि. /767 दिनांक 04.06.2020

विविध-I A
2716
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छत्तीसगढ़, रायपुर

—————00—————

उपरोक्त विषयातंर्गत निवेदन है, कि संदर्भित पत्र के माध्यम वनमंडलाधिकारी महासमुंद वनमंडल महासमुंद के द्वारा संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) सिविल लाईन रायपुर (छ0ग0) (आवेदक संस्थान) द्वारा इस वनमंडल के अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् Optical fiber laying कुल रकबा 5.923 हे0 वनभूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव (21 बिन्दुओं का) 4 प्रतियों में इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। अवलोकन उपरांत 03 प्रतियों में प्रस्ताव आपकी ओर प्रथम चरण की स्वीकृति की कार्यवाही हेतु अनुशंसा सहित प्रेषित की जा रही है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

कार्या. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नवा रायपुर
आवक क्र. 7153
दिनांक 29-06-20

क्रं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
	GOI (MOEF) से संबंधित अभिलेख	
1.	**आवेदक विभाग का मांग पत्र–** आवेदनकर्ता प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड/छ.ग. इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स रायपुर (छ0ग0) द्वारा महासमुंद जिले के महासमुंद वनमण्डल अंतर्गत 5.923 हे. वनभूमि पर Optical fiber laying हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत मांग की गई है।	1-1
2.	**रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु ऑनलाईन एकनालेजमेंट स्लिप की छायाप्रतिः–** प्रस्ताव का अनलाईन रजिस्ट्रेशन कमांक FP/CG/OFC/42881/2019 आबंटित किया गया है। आवेदक संस्थान द्वारा पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क जमा कर दिया गया है।	2-3
3.	वन क्षेत्र विवरणः– आवेदनकर्ता छ.ग. इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स रायपुर (छ0ग0) द्वारा महासमुंद जिले के महासमुंद वनमण्डल अंतर्गत वन परिक्षेत्र बसना, पिथौरा एवं	4-14

	[illegible] भूमि के ऑप्टिकल [illegible] वनभूमि निम्नानुसार है:– आरक्षित वन 3.537 हे0, संरक्षित वन 1.529 हे0, नारंगी क्षेत्र 0.483 हे0, एवं राजस्व वन भूमि 0.374 हे0 कुल 5.923 हे0 वन भूमि है।	
4.	गैर वन क्षेत्र विवरण :– महासमुंद वनमंडल के अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित गैर वन क्षेत्र का कुल रकबा 64.824 हे0 है।	15
5.	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर :– प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।	16-20
6.	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप :– वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप संलग्न।	21-32
7.	प्रपत्र–4 में प्रस्ताव :– भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना भारतनेट प्रोजेक्ट फेस – II के अंतर्गत छ.ग. इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स रायपुर (छ0ग0) के द्वारा महासमुंद जिला के महासमुन्द वनमंडल अंतर्गत अधिनस्त ग्राम पंचायतो को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गो के मौजुदा राईट–ऑफ–वे के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वन भूमि 5.549 हे0 एवं राजस्व वनभूमि 0.374 हे. कुल 5.923 हे0 वनभूमि प्रस्तावित है। इसमें वृक्ष विदोहन नही होना है।	33-40
8.	**प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप** :– प्रस्ताव में प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप संलग्न है।	41-43
9.	**न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र** :– प्रस्ताव में न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है।	44
10.	**अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो/जिम्मेदारों अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही** :– इस परियोजना अंतर्गत किसी भी प्रकार से अधिनियम उल्लंघन नही किया गया है।	45
11.	**वनाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम, पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगा** :– भाग 1:– भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना भारतनेट प्रोजेक्ट फेस – II के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वन भूमि 5.549 हे0 एवं राजस्व वनभूमि 0. 374 हे. कुल 5.923 हे0 वनभूमि की अवश्यकता है। उपरोक्त केबल रूट की 0.50 मीटर चौड़ाई पर 1.65 मीटर की गहराई पर भूमिगत केबल बिछाने का कार्य किया जाना है। भाग 2:– महासमुंद वनमंडल के अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वन भूमि निम्नानुसार है:– आरक्षित वन 3.537 हे0, संरक्षित वन 1.529 हे0, नारंगी क्षेत्र 0.483 हे0, एवं राजस्व वन भूमि 0.374 हे0 कुल 5.923 हे0 वन भूमि है। वनभूमि का घनत्व 0.4 से 0.6 परियोजना की कुल लागत 131 करोड़ 02 लाख रूपये है शासन के निर्देशानुसार वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग (ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु) अनुमति प्रदान की जा सकती है।	46-64
12.	**ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र** :– प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व स्थल एवं पुरातात्विक स्थल प्रभावित नही हो रहे है।	65
13.	**संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र कमांक/एफ –5–20/2007/10–2 दिनांक 12/01/2010)**:– संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है।	66-69
14.	जिले की कुल वन भूमि रकबा हे. में :– महासमुंद जिले की कुल वन भूमि रकबा 100519 हे0 है।	70

15.	व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत 22 प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा 1680. 959 हे0 है।	71
16.	व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी Catagory की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा हे. में :– व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी ब्जंहवतल की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा निरंक है।	72
17.	**प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी** :– प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित नही है और न ही प्रस्तावित है तथा अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित नही है।	73
18.	**वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा)** :– आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर बिलासपुर द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र दिनांक 25.11.2019 को जारी किया गया है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	74-75
19.	**राजस्व वनं भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र** :– प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि सम्मिलित है राजस्व वनभूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर बिलासपुर के पत्र क्रमांक 2914 दिनांक 25.11.2019 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी की गयी है। जो प्रस्ताव में संलग्न है।	76-79
20.	**पंजीयन क्रमांक–पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र कमांक/एफ–7–22/2009/10–2 दिनांक 31/07/2009)** :– प्रस्ताव का पंजीयन क्रमांक – **FP/CG/OFC/42881/2019** एवं 24000.00 रू पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क आवेदक संस्थान द्वारा जमा किया गया है।	80
21.	**राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण के अंदर में ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ की अनुशंसा** :– आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु प्रस्तावित वनभूमि के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण्य क्षेत्र नही है के संबंध में अधोहस्ताक्षरी का प्रमाण पत्र संलग्न है।	81

संलग्न :– **1.प्रस्ताव 03 प्रतियों में (एक मूल प्रति सहित)।**
2.डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट आवेदित क्षेत्र (03 प्रतियों में)
3.अपलोड फार्म–ए का पार्ट–I एवं II

मुख्य वन संरक्षक
रायपुर वृत्त, रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/तक.शा./विविध/399। रायपुर, दिनांक 24/06/2020

प्रतिलिपि :– 1. वनमंडलाधिकारी महासमुंद वनमंडल महासंमुद की ओर उनके संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।

2. संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) सिविल लाईन रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
रायपुर वृत्त, रायपुर (छ.ग.)